

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या—

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र

(II)	जिले का वन क्षेत्र	3782.86 वर्ग कि.मी. अथवा 378286 हे०
(III)	1980 के बाद कुल वन क्षेत्र का वनेतर उपयोग मामलों की संख्या के साथ	29 मामले 2965.7451 हे०
(IV)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण पर	2206 हे.
(क)	दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण को शामिल करते हुए वन भूमि	2206 हे.
(ख)	वनेतर भूमि पर	133.2994 हे.
(V)	तक प्रतिपूरक वनीकरण प्रगति	
(क)	वन भूमि पर	2206 हे.
(ख)	वनेतर भूमि पर	133.2994 हे.
9	कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए उप वन संरक्षक की विवेक सफाई में ।	रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अन्तर्गत मुर्धवा वन ब्लॉक के कम्पार्टमेन्ट संख्या- 16 व 17 की 15.80 एकड़(6.394 हे०) वन भूमि में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट को उ०प्र० शासन के आदेश संख्या- 4050/14-2-794/72 दिनांक- 09.08.1972 द्वारा 25 वर्षों के लीज पर (दिनांक-09.08.1972 से 08.08.1997 तक) हस्तान्तरित की गयी थी । उक्त लीज की अवधि को समाप्त होने के उपरान्त भारत सरकार के पत्र संख्या- 08बी/04/2074/2000/एफ०सी०/726 दिनांक- 06.10.2000 एवं इसके क्रम में संयुक्त सचिव उ.प्र.शासन के आदेश संख्या- जी.आई. 774/14-2-2000-749/72 दिनांक- 02.03.2001 द्वारा पूर्व स्वीकृत लीज को आगामी 25 वर्षों हेतु (दिनांक- 01.04.1997 से 31.03.2022 तक) नवीनीकरण किया गया । उक्त लीज की समाप्ति की तिथि दिनांक- 31.03.2022 से आगामी 25 वर्षों हेतु (दिनांक- 01.04.2022 से 31.03.2047 तक) नवीनीकरण किये जाने हेतु नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसे नवीनीकरण किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है ।

दिनांक:- 15/12-2021

स्थान:-रेनुकूट


 (मनमोहन मिश्रा)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र
 नाम
 सरकारी मोहर